

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-21.05.2019

स्वाट(क्राइम ब्रान्च) एवं आबकारी टीम व थाना अनूपशहर पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार, 28

पेटी अवैध रूप से निर्मित शराब (कीमत करीब 80 हजार रुपये) सहित एक सैन्ट्रो कार बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक देहात के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी अनूपशहर श्री अतुल कुमार चौबे के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 20.05.2019 को प्रभारी निरीक्षक थाना अनूपशहर श्री जितेन्द्र कुमार सिंह मय पुलिस टीम के थाना अनूपशहर क्षेत्र में देख-रेख शान्ति व्यवस्था एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि जब ग्राम शाहजहांपुर पुलिसिया पहुँचे तो वहाँ पहले से मौजूद स्वाट (क्राइम ब्रांच) व आबकारी टीम मिली कुछ देर बाद मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक सैन्ट्रो कार जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब भरी है, मखैना पुलिसिया की तरफ से ग्राम एचौरा आने वाली है। इस सूचना पर स्वाट (क्राइम ब्रान्च) एवं आबकारी टीम व प्रभारी निरीक्षक अनूपशहर मय पुलिस फोर्स द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए तत्काल मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँचकर चैकिंग करने लगे कि कुछ देर बाद एक सैन्ट्रो कार मखैना पुलिसिया की तरफ से आता दिखायी दिया जिसको पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर समय करीब 13.20 बजे दो अभियुक्तों को सैन्ट्रो कार सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की तथा दो अभियुक्त चकमा देकर भागने में सफल रहे। कार को चैक किया गया तो उसमें 28 पेटी अवैध रूप से निर्मित शराब (कीमत करीब 80 हजार रुपये) बरामद हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. संजय पुत्र स्व० रामदेव निवासी ग्राम एचौरा थाना अनूपशहर बुलन्दशहर।
2. कैलाश पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी उपरोक्त।

बरामदगी का विवरण -

- 1- एक सैन्ट्रो कार नं०-यूपी-16एन-7889
- 2- 28 पेटी अवैध रूप से निर्मित शराब।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि उपरोक्त बरामद शराब अवैध रूप से निर्मित है जिसको हम बाहर से कम कीमत पर तस्करी कर बोललो से रेपर हटा कर अपने आर्थिक लाभ हेतु अधिक कीमत में बुलन्दशहर के आस-पास के गांव में सप्लाई करते हैं। गौरतलब है कि अभियुक्त कैलाश उपरोक्त थाना अनूपशहर पर पंजीकृत मु०अ०सं०-94/19 धारा 63 आबकारी अधि० व धारा 420 भादवि में भी वांछित था। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अपने फरार साथियों का नाम आलोक उर्फ कौशिक पुत्र हरवीर व सचिन पुत्र धर्मेन्द्र निवासीगण ग्राम शेखपुरा रोरा थाना जहाँगीराबाद बुलन्दशहर बताया जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना अनूपशहर पर मु०अ०सं०-176/19 धारा 60/63/72 आबकारी अधि० व धारा 420 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अनूपशहर पुलिस टीम-

- 1- श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना अनूपशहर
- 2- उ०नि० नीरज कुमार त्यागी
- 3- का० मनीष कुमार, का० नवीन कुमार, का०चालक शीशपाल सिंह

स्वाट क्राइम ब्रांच टीम-

- 1- है०का० सुशील यादव, है०का० असलम खॉ, का० सुरेन्द्र बैसला, का०चालक मणीकान्त त्यागी

आबकारी टीम-

- 1- है०का० वीरेन्द्र सिंह, है०का० राजवल्लभ